



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक— जविप्रा/उपा./जोन-14/05540/2024/डी-1524 दिनांक 27/9/2024

मैसर्स रियासत इफ़ाटेक डवलपर्स प्रा.लि.,
निदेशक श्री सुभाष चन्द सैनी पुत्र श्री गणेश राम सैनी,
पंजीकृत कार्यालय-709, ओके प्लस टावर,
सैक्टर-7, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राज.।

विषय:— निजी खातेदारी की योजना रियासत सीतारामपुरा विस्तार, ग्राम सीतारामपुरा,
तह. सांगानेर में 12.50 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्डों को रहन मुक्त कर
अनुमोदित मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा ग्राम सीतारामपुरा, तह. सांगानेर, जयपुर
के ख.नं. 358, 359, 360, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 398, 399, 400,
689/361, 692/363, 695/401, 691/361, 694/363, 697/401 कुल किता 19 कुल
रकबा 4.33 हैक्ट. भूमि में योजना रियासत सीतारामपुरा विस्तार में 12.50 प्रतिशत रहन
रखे गये भूखण्डों को रहन मुक्त कर अनुमोदित मानचित्र जारी करने हेतु निवेदन किया
गया था।

उक्त कम में लेख है कि योजना रियासत सीतारामपुरा विस्तार में रहन रखे गये
भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 2893.01 व.मी. के भूखण्डों को रहन मुक्त किया गया है,
जिसका अनुमोदित मानचित्र जारी किया गया है, जो क्रमांक 1367/B दिनांक
29.12.2023 को इन्द्राज किया गया है। उक्त पत्र के साथ मानचित्र की प्रति संलग्न कर
भिजवायी जा रही है। सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त, जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PROPOSED LAYOUT PLAN OF
"RIYASAT SITARAMPURA EXTENSION"
IN KHASRA NO.- 358, 359, 360, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 398, 399, 400,
689/361, 692/363, 695/401, 691/361, 694/363, 697/401.
AT REVENUE VILLAGE - SITARAMPURA, TEH.- SANGANER, JAIPUR

ज.वि.प्रा. 1367
B.
28-12-23

ZDP ROAD 24.0 MT. WIDE

REVENUE ROAD 18.0 MT. WIDE

REVENUE ROAD 18.0 MT. WIDE

ROAD 12.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. WIDE

ZDP ROAD 60.0 MT. WIDE

ROAD 12.0 MT. WIDE

ROAD 12.0 MT. WIDE

ROAD 12.0 MT. WIDE

ROAD 7.50 MT. WIDE

ROAD 7.50 MT. WIDE

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.

301, Third Floor, Prime Tower,
Front of Police Head Quarter,
Lal Kothi, Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829450911

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1	RESIDENTIAL	20267.30	46.81 %
2	EDS & LIG	2043.25	04.72 %
3	RETAIL SHOP	162.00	01.22 %
4	PARKING	367.98	01.22 %
TOTAL = (1+2+3)		22840.53	52.75 %
5	PARK	2165.86	05.00 %
6	FACILITY	2165.07	05.00 %
7	PUBLIC UTILITY	2165.37	05.00 %
8	ZDP RD 60 M.	5300.45	12.24 %
9	S.W.M.	50.00	0.12 %
10	MOBILE TOWER	40.21	0.09 %
11	P.U (TOILET)	10.02	0.02 %
12	ROAD	8562.49	19.78 %
TOTAL = (4 TO 11)		20459.47	47.25 %
SCHEME AREA		43300.00	100.00 %

04.33 HECT.

योजना की भूमि की समुपयोगिता अधिनियम की धारा 30 ए की
अनुसूची में वर्णित भूमि का उपयोग करने के लिए किया गया।
योजना की भूमि की भूमि उपयोगिता में परिवर्तन की भूमि है।

योजना का नाम:- "RIYASAT SITARAMPURA EXTENSION"
संगणक में: 358, 359, 360, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 398, 399, 400,
689/361, 692/363, 695/401, 691/361, 694/363, 697/401

लेखक संख्या:- 14
दिनांक:- 1-500

सहकारक नगर निरीक्षक, जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण

Cad Max PROJECTS PVT. LTD.

301, Third Floor, Prime Tower,
Front of Police Head Quarter,
Lal Kothi, Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829450911

नोट:- राजधानी परामर्श संख्या RA/DC/ZONE-14/1
RIYASAT SITARAMPURA EXTENSION 10285-05540

के चरान/17 नव अनुसार योजना में आन्तरिक सड़क मार्ग
के गेरे सड़क रस्ते और 12.50% सुकड़ संख्या 12, 13, 14, 22, 23,
31, 32, 33, 34, 45, 46 नुल सुकड़ 14 सिविल डिपार्टमेंट 2023.01 व.मी.
के समुचित आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर सड़क सुकड़
दिखा जाये।

3 नगर निरीक्षक
जोन - 14

3 नगर निरीक्षक
जोन - 14

3 नगर निरीक्षक
जोन - 14

3 नगर निरीक्षक
जोन - 14

- राजवध शासक सितारामपुरा सहरील सांगनेर जिला जयपुर के खनं 358, 689/361, 691/361, 362, 692/363, 694/363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 399, 400, 359, 360, 398, 695/401, 697/401 कुल किला 19 कुल रकबा 04.33 हेक्टर भूमि की 90ए आदेश संख्या LU2012/JDA/2023-24/102859 दिनांक 03.10.2023 को की गई है।
- योजना की भूमि में रा.भ.स. अधिनियम की धारा 30-ए की कार्यवाही प्रारम्भिक अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण सहरीलद्वारा द्वारा किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टरप्लान शाखा अनुसार मास्टरप्लान योजना 2011 के अनुसार ग्रामीण व मास्टरप्लान योजना 2025 व जिला उन्नतप्लान प्लान प्लानिंग जून-15 के अनुसार भू-उपयोग आवासीय, यू-2 एचआईजेड, व कॉमर्सियल (30 मीटर गहराई तक) दर्शाते हैं तथा अधिदिल भूमि जिला प्लान की 48 मीटर व 60 मीटर सड़क पर स्थित है।
- योजना विकास सितारामपुरा विस्तार का अनुमोदन केपीसी (एलसी) की 344वीं बैठक दिनांक 08.11.2023 में किया गया है।
- योजना में फुटकर व्यावसायिक के प्राधान्य नबिधि के आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बीपीसी (एलसी) द्वारा जारी यू.ओ. नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार देय होने।
- योजना विकास योजना की 60 मीटर चौड़ी सड़क एवं अधिदिल भूमि के उत्तर दिशा में स्थित खसरा नं. 81 किस्म नैमु रास्ता में नबिधि की अविशुद्धता दिनांक 10.08.2020 के क्रम में प्रस्तावित 18 मीटर सड़क को उखा खसरे के गड्ढे से दोनो ओर 9-9 मीटर सड़क से प्रमाणित भूमि जिला में सड़क हेतु नि-मुक्त समर्पित करवायी गयी है।
- अधिदिल भूमि के खसरा नं. 366 नैमु षाह दर्ज है, जिसे रेनवाटर हावैसिंग हेतु खुले क्षेत्र के रूप में रखा गया है।
- एलटीआईन को सिफ्ट होने के पश्चात् ही प्रमाणित भूखण्डों के पट्टे जारी किये जायें।
- योजना मानचित्र टैडनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामिटर जडिफा विनियम 2020 के अनुसार देय होने।
- आन्तरिक विकास शुल्क की एवज में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड रहन रहे जाते हैं:-

AMIN/PATWARI (ZONE-14)

A.T.P.D.T.F. (ZONE-14)

T.D.R. (ZONE-14)

D.C. (ZONE-14)

A.C.T.P. (ZONE-14)

B.P.C.(L.P)

B.P.C.(L.P)

B.P.C.(L.P)

B.P.C.(L.P)

S.T.P.

B.P.C.(L.P)

B.P.C.(L.P)

B.P.C.(L.P)

B.P.C.(L.P)